न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 09 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रणछाराम पुत्र खेताराम
2. किशनाराम पुत्र खेताराम
3. देदाराम पुत्र खेताराम
4. मानाराम पुत्र खेताराम
5. विशनाराम पुत्र खेताराम
6. लिखमाराम पुत्र खेताराम
7. श्रीमती चनणीदेवी पत्नी खेताराम जाति सुनार निवासी जाखड़ों की ढाणी सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पुखराज पुत्र कासीराम जाति ब्राहमण निवासी जाखड़ो की ढाणी सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

2.श्री तहसीलदार सेड़वा

3.श्री शाखा प्रवन्धक एस वी आई शाखा सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 250 / 2017 बअनवान पुखराज बनाम रणछाराम में पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 995 / 59 रकबा 30 बीघा ग्राम जाखड़ो की ढाणी सांवा तहसील सेड़वा में अवस्थित है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के खेत में से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन को दिनांक 26.05.2015 को निर्णित करते हुए रेस्पोडेंट को रास्ता दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 07.07.2017 को पुन निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय को बहाल रखते हुए दिनांक 03.05.2018 को आवेदन का निस्तारण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 19.02.2019 को पुन निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन को दिनांक 26.05.2015 को निर्णित करते हुए रेस्पोडेंट को रास्ता दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 07.07.2017 को पुन निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय को बहाल रखते हुए दिनांक 03.05.2018 को आवेदन का निस्तारण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 19.02.2019 को पुन निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। जबकि मातहत अदालत के समक्ष पेश एक अन्य आवेदन बअनवान रामूदेवी बनाम चनणीदेवी वगै. में प्राप्त मौका फर्द दिनांक 21.01.2021 के संलग्न नक्शे का अवलोकन किया जाये तो उसमें प्रस्तावित रास्ते से रेस्पोडेंट प्रार्थी का खेत भी जुड़ता है तथा रास्ता भी कम दूरी का है। यदि उक्त रास्ते की स्वीकृति न्यायालय हाजा द्वारा दी जाती है तो अपीलांट अपने खेत खसरा संख्या 994/59 के सेढे–सेढे रास्ता देने हेतु सहमत है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.07.2017 को पुन निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय को वहाल रखते हुए दिनांक 03.05.2018 को आवेदन का निस्तारण किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 19.02.2019 को पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश की पालना में भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी हठर्धिमता को बरकरार रखते हुए पूर्व में पारित आदेश को बहाल रखा गया। अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की मातहत अदालत द्वारा अवहेलना की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन संख्या 14/2021 बअनवान रामूदेवी बनाम चनणीदेवी वगै. में तैयार मौका फर्द दिनांक 21.01.2021 में प्रस्तावित रास्ते से रेस्पोडेंटगण प्रार्थी का खेत भी जुड़ रहा है तथा वह निकटतम दूरी का रास्ता भी है। मातहत अदालत में तीन बार मौका फर्द पेश की गई तीनों ही बार मौका रिपोर्ट के तथ्यों की पुनरावर्ती की गई जबकि वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने से पूर्व उसका अवलोकन आवश्यक रूप से कर लेवे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 की पालना में प्रस्तावित रास्ता लंबी दूरी का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता एवं मौका फर्दों का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एंव तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 250/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बअनवान पुखराज बनाम रणछाराम में पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा संख्या 997/59 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए खसरा संख्या 994/59 व 997/59 के सेढे–सेढे रास्ता दिया जावे। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि पूर्व में सरकार के खाते में जमा करवाई वो लंबे दूरी के रास्ते की थी जो उपरोक्त वर्णित पक्षकारान को देने के बाद जो शेष रहती है उसे प्रार्थी को लौटाई जावे। उपरोक्त निकटतम एवं लघुतम कटाण सरकारी मार्ग देने की कार्यवाही कर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरिवन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर